Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding Rate of Compensation and Employment to those whose Lands have been acquired for Railway Projects - laid

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र रावेर में कार्यरत सेंट्रल रेलवे भुसावल डिवीज़न में प्रस्तावित भुसावल जलगाँव चौथी-लाइन परियोजना जो आज से 5-6 साल पहिले शुरु की गई उसकी कठिनाई को बताने जा रही हूँ, जो अब हमारे इस क्षेत्र के किसानों की ज्वलंत समस्या बन गई है। हमारी भुसावल- जलगाँव चौथी-लाइन परियोजना 5-6 साल पुरानी 2017 की परियोजना है। मै हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पर्याप्त बजट उपलधता होने के कारण इस परियोजना के कार्य को गति प्रदान कर पाई है। मैं जो मुख्य बिंदु आपके सामने रखना चाहती हूँ वह यह है कि 11.11.2019 का एक सर्कुलर-पत्र से यह आदेश प्राप्त हुआ कि अब भूमि अधिग्रहण के बाद रेलवे में दी जानेवाली नौकरियां देना बंद हो जाएगी और साथ ही मुआवजे की राशि कम कर दी जाएगी। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि इससे हमारे क्षेत्र के बेरोजगारों के वे सपने पूरे नहीं हो पाएंगे और बहुत किसान भूमिहीन हो जायेंगे और बचे हुए कुछ किसानों का उत्पादन घट जाएगा जो इस परियोजना से जुड़े हुए है। मेरा आग्रह है कि 11.11.2019 सर्कुलर-पत्र आदेश से पहले जितने भी ऐसे भूमि अधिग्रहण के मामले हैं उन्हें रेलवे में मुआवज़ा नौकरी नियुक्ति दी जाए जैसे जबलपुर मंडल के अधीन रीवा-सीधी-सिंगरोली तथा सतना- पन्ना नई रेललाइन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के आश्रितों को पिछले साल 2021 में नौकरियां दी गई और साथ ही भूमि-अधिग्रहण मुआवजे की मार्किट रेट से राशि का वितरण किया जाए।